न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00014

आत्माराम नागर आत्मज देवीलाल उर्फ देव्या जाति धाकड निवासी ग्राम किशनपुरा कैथून, तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 30.07.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.12.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम किशनपुरा कैथून तहसील लाडपुरा में हाल खसरा नम्बर 321 की रकबा 0.26 हैक्टर आराजी स्थित है । उक्त भूमि पर वादी का गत 40–42 वर्षों से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है । उक्त आराजी पूर्व में शिवकरण आत्मज कजोडीलाल को वर्ष 1990 में बिना कब्जे व आधार के आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित की गई थी । जिसकी जानकारी वादी को होने पर वादी द्वारा अपने भाई मोहनलाल के जरिये उक्त आवंटन आदेश के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय ने दिनांक 28.04.1992 को अपील स्वीकार कर आदेश पारित किया कि आवंटन अधिकारी यह जॉच करे कि आवंटी शिवकरण दूसरे गॉव का निवासी हो और उसका व्यवसाय कृषि नहीं हो तो आवंटन निरस्त किया जावे अन्यथा नहीं । न्यायालय के आदेशानुसार आवंटन निरस्त कर आराजी खाता सिवायचक दर्ज की गई । इसके उपरान्त वादी के द्वारा उक्त आराजी को आवंटन करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया और आवंटन समिति द्वारा सम्पूर्ण जॉच कर वादी को सूचित किये जाने के लिए कहा । वादी ने कई बार उक्त आराजी को अपने पक्ष में नियमन/आवंटन करने का निवेदन किया परन्तु वादी के आवेदनों पर कोई ध्यान नहीं दिया

गया । वादी उक्त आराजी पर पिछले 40–42 से निरन्तर काबिज काश्त है और वह उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी के स्थान पर वादी का नाम दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादी करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.12.2019 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.12.2019 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित असवर प्रदान किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का पिछले 40–42 वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा है और वह कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक हो गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.12.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना दावा वादी खारिज किया गया है । वादग्रस्त आराजी पर वादी अपीलान्ट का पिछले 40–42 वर्षो से लगातार कब्जा चला आ रहा है । पूर्व में यह आराजी शिवकरण को आवंटित हो जाने पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष अपील पेश की गई थी जो इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की गई थी कि अपीलान्ट का यदि कब्जा हो तो आवंटित की जावे । इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी खारिज किया है । वादग्रस्त आराजी स्ट्रीप ऑफ लैण्ड की परिभाषा में आती है जिस पर अपीलान्ट का कदीमी समय से कब्जा है । रेस्पोडेन्ट ने दावे के खण्डन में काई जवाबदावा पेश नहीं किया है फिर भी दावा खारिज किया गया है । कब्जाधारी के द्वारा भी धारा 188 का दावा पेश किया जा सकता है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.12.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक है जिस पर हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.12.2019 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 321 रकबा 0.26 हैक्टर वाके ग्राम किशनपुरा कैथून तहसील लाडपुरा कि लिए पेश किया गया है और यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी पर उनका पिछले 40–42 वर्षों से कब्जा है । अपीलान्ट ने कई बार आराजी का आवंटन एवं नियमन करने के लिए प्रार्थना की थी परन्तु अपीलान्ट की सुनवाई नहीं की गई । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के द्वारा दिनांक 28.04.1992 को यह निर्णय पारित किया गया था कि आवंटन अधिकारी जॉच करे कि आवंटी शिवकरण दूसरे गॉव का निवासी है व कृषि करता है अथवा नहीं । आवंटन अधिकारी द्वारा जॉच कर आवंटन निरस्त किया जा चुका है । आराजी सिवायचक दर्ज की गई है ।

10. वादी ने दावे के समर्थन में नोटिस प्रति प्रदर्श–1, सम्पर्क समाधान पावती रसदी प्रदर्श–2, डाक विभाग की पावती रसीद प्रदर्श–3, डाक विभाग की रसीद प्रदर्श–4, पोस्टल ऑर्डर की पावती प्रदर्श– 5, जिला कलक्टर को प्रेषित आवेदन प्रदर्श–6, सम्पर्क पोर्टल शिकायत की प्रति प्रदर्श–7, सूचना के अधिकार में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रदर्श–8, जिला कलक्टर के द्वारा प्रार्थी को प्रेषित पत्र प्रदर्श–9, तहसीलदार के द्वारा लिखे गये पत्र की प्रति प्रदर्श–10, धारा 91 के नोटिसों की प्रति प्रदर्श 11 लगायत 16, खसरा गिरदावरी की फोटो प्रति प्रदर्श–17 पेश की गई हैं । आदेश दिनांक 28.04.1992 की फोटो प्रति प्रदर्श– 18 पेश की गई है ।

11. वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य में जोधराम एवं आत्माराम के शपथ पत्र पेश किये गये हैं परन्तु इन दोनों के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्रों की ताईद नहीं की है ।

12. वादी द्वारा प्रस्तुत कुछ दस्तावेजों की फोटो प्रतियों को प्रदर्शित किया गया है । दस्तावेजों को प्रदर्शित करने के लिए वादी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं । प्रतिवादीगण के खिलाफ परीक्षण न्यायालय में एकतरफा कार्यवाही की गई है और अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया गया है । वादी के द्वारा सरकारी सिवायचक आराजी के लिए हक घोषणा का दावा पेश किया गया है । कब्जे के आधार पर सरकारी सिवायचक आराजी पर हक घोषणा का दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार मेन्टेनेबल नहीं है । यदि वादी अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी अपने पक्ष में आवंटन/नियमन करवाना चाहते हैं तो वो आवंटन अधिकारी के समक्ष विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं जिस पर आवंटन अधिकारी विधिक प्रावधानों के तहत उचित कार्यवाही कर सकते हैं । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.12.2019 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 30.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2020/00014

आत्माराम नागर आत्मज देवीलाल उर्फ देव्या जाति धाकड निवासी ग्राम किशनपुरा कैथून, तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश **निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.12.2019 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर** कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 98/दावा/2016

आत्माराम नागर आत्मज देवीलाल उर्फ देव्या जाति धाकड निवासी ग्राम किशनपुरा कैथून, तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.12.2019 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 30.07.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से श्री घनश्याम नागर एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया अपील कि अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.12.2019 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 30.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

30/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा